न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 101/2023 (2023/173)

अनवान

1. शंकरलाल पिता डालू जाट नि.बल्दरखा तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब बस्सी जिला चित्तौडगढ

—विपक्षी

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री पैरोकार सरकार विपक्षी

निर्णय दिनांक 05/05/26

प्रार्थना पत्र का सक्षेंप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बल्दररखा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बस्सी की खाता संख्या 421 पर दर्ज आ.न. 1126 रकबा 0.04 हे. कृषि भूमि अवस्थित है। जो प्रार्थी एंव दिगर खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त आराजी के पुराने आराजी नम्बर 369 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूमि है। सेटलमेंट से पूर्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शंकरलाल पिता डालू जाट दर्ज रेकार्ड था लेकिन सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी का नाम शंकरलाल पिता डालू मीणा अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल पिता डालू जाट और जाति जाट है और इसी नाम से प्रार्थी का समाज व गांव में जाना व पहचाना जाता है और यही नाम प्रार्थी मतदाता , पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एंव बैंक पास बुक में अंकित है मात्र उक्त आराजीयात के सेटलमेन्ट के बाद की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शंकरलाल

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ता डालू जाट के बजाय शंकरलाल पिता डालू मीणा अंकित कर दिया गया है । वर्तमान शंकरलाल पिता डालू मीणा अंकित होने के कारण प्रार्थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी नही मिल पा रहा है साथ ही सरकार द्वारा किसान हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा बल्दरखा की आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.04 हे. कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम शंकरलाल पिता डालू मीणा के बजाय शंकरलाल पिता डालू जाट अंकित कर राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती किये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतू निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसील बस्सी से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के सम्बन्ध मे रिपोर्ट तलब कि गई। तहसील बस्सी से पत्रांक/राज. /2025/235 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होकर सलंग्न पत्रावली पर रेकार्ड पर है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार :–

1. मौजा बल्दरखा पटवार हल्का आवलहेडा तहसील बस्सी की वर्तमान खाता संख्या 421 पर दर्ज आराजी नं 1126 रकाब 0.04 हे. किस्म आ.चा. दर्ज रिकार्ड है जो प्रार्थी खातेदार के नाम पर हिस्सा 2/5 से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।
2. वाद मे वर्णित पुराने आराजी नं 369 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूमि होना बताया है जो कि मिलान क्षेत्रफल व सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी देखने पर जाहिर आया की हाल आराजी नं 1126 रकबा 0.04 है. साबिक आराजी नं 666 रकबा 4 बिस्वा से बना है। सेटलमेन्ट पूर्व प्रार्थी के दादा गोपी वल्द किशना 2/5 जाट सा.देह खातेदार से दर्ज रिकार्ड था। दौराने सेटलमेन्ट तैयारी खसरा मे गोपी वल्द किशना की जाति जाट दर्ज थी किन्तु सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2038 खाता संख्या 106 में श्री गोपी वल्द किशना 2/5 दर्ज होकर जाति मीणा सहवन से दर्ज कर दी गयी थी। जिससे सम्वत् 2038 से लेकर सम्वत् 2081 तक निरन्तर जमाबन्दी मे जाति मीणा दर्ज होकर चली आ रही है एंव जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 के खाता संख्या 106 पर अंकित विरासत

नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 18.09.1981 से गोपी के बजाय पोत्र श्री शंकर पिता डालू का नाम दर्ज हुआ था।

3. प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल पिता डालु जाट है तथा इसी नाम से ग्रामवासी एंव समाज–जन में जाना पहचाना जाता है। यही नाम प्रार्थी के राशन कार्ड , आधार कार्ड , बैंक पास बुक इत्यादी में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है।

4. प्रार्थी श्री शंकरलाल पिता डालु जाट नि.बल्दरखा वर्तमान खाता संख्या 421 पर दर्ज आराजी न 1126 रकबा 0.04 हे. किस्म आ.चा. पर दर्ज जाति मीणा गलत होकर शंकरलाल पिता डालु हिस्सा 2/5 जाति जाट राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी की जाति मीणा के बजाए जाट दर्ज करने का निवेदन किया । इसके साथ ही तहसील से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देकर अपने कथनो का समर्थन प्रस्तुत किया ।

हमने पत्रावली एंव तहसील से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर चिन्तन व मनन किया। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा बल्दरखा पटवार हल्का आवलहेडा तहसील बस्सी की वर्तमान खाता संख्या 421 पर दर्ज आराजी नं 1126 रकाब 0.04 हे. किस्म आ.चा. दर्ज रिकार्ड है जो प्रार्थी खातेदार के नाम पर हिस्सा 2/5 से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वाद मे वर्णित पुराने आराजी नं 369 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूमि होना बताया है जो कि मिलान क्षेत्रफल व सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी देखने पर जाहिर आया की हाल आराजी नं 1126 रकबा 0.04 है. साबिक आराजी नं 666 रकबा 4 बिस्वा से बना है। सेटलमेन्ट पूर्व प्रार्थी के दादा गोपी वल्द किशना 2/5 जाट सा.देह खातेदार से दर्ज रिकार्ड था। दौराने सेटलमेन्ट तैयारी खसरा मे गोपी वल्द किशना की जाति जाट दर्ज थी किन्तु सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2038 खाता संख्या 106 में श्री गोपी वल्द किशना 2/5 दर्ज होकर जाति मीणा सहवन से दर्ज कर दी गयी थी। जिससे

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत् 2038 से लेकर सम्वत् 2081 तक निरन्तर जमाबन्दी मे जाति मीणा दर्ज होकर चली आ रही है एंव जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 के खाता संख्या 106 पर अंकित विरासत नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 18.09.1981 से गोपी के बजाय पोत्र श्री शंकर पिता डालू का नाम दर्ज हुआ था।

प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल पिता डालु जाट है तथा इसी नाम से ग्रामवासी एंव समाज–जन में जाना पहचाना जाता है। यही नाम प्रार्थी के राशन कार्ड , आधार कार्ड , बैंक पास बुक इत्यादी में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी श्री शंकरलाल पिता डालु जाट नि.बल्दरखा वर्तमान खाता संख्या 421 पर दर्ज आराजी न 1126 रकबा 0.04 हे. किस्म आ.चा. पर दर्ज जाति मीणा गलत होकर शंकरलाल पिता डालु हिस्सा 2/5 जाति जाट राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वक्त सेटलमेन्ट हुई त्रुटि को 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरस्त किए जाने के प्रावधान है ऐसी सूरत मे पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात एंव तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का आवंलहेडा तहसील बस्सी के खाता संख्या 421 मे वर्णित आराजी नं 1126 रकबा 0.04 हे. (किस्म आ.चा.) भूमि मे प्रार्थी का नाम शंकरलाल पिता डालू मीणा के बजाय <u>शंकर लाल पिता डालू जाट</u> अंकित कर राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner